

अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0जल निगम(ग्रामीण),

लडापुरा वाटर वर्क्स के निकट, झालू रोड, बिजनौर(उ0प्र0)

(दूरभाष/फैक्स : 01342-252649)

E-mail: ee_bjn_cdupjn@yahoo.co.in

पत्रांक:
सेवा में,

1029 / जल जीवन मिशन / 146

दिनांक:- 19.04.2025

प्रोजेक्ट मैनेजर,
मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रो0प्रा0लि0,
मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0-
गजा इंजी0प्रा0लि0(जे0वी0),
बिजनौर।

विषय:-
महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा जनपद बिजनौर जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-।। एवं फेज-।।। के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। आपकी एजेन्सी द्वारा जनपद में आपके द्वारा किये जा रहे कार्यों में आपको आबंटित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु दी गयी समयावधि एवं ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की आपूर्ति निरन्तर कराये जाने के संदर्भ में शासन एवं प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं। आपको निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देशित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं कि गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु सं0-1-

आपकी एजेन्सी द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण /ऑटोमेशन की गति अत्यन्त कम है जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में रोष व्यक्त किया जा रहा है। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि पेयजल योजनाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण /ऑटोमेशन की गति को बढ़ाते हुए अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक स्थिति से अवगत करायें।

बिन्दु सं0-2-

आपके द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि पेयजल योजनाओं पर जलापूर्ति क्लोरिन डोजर के माध्यम से करायी जाये। फेज-।। के अंतर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै0एल0सी0इन्फ्रा प्रो0प्रा0लि0 को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि आपकी एजेन्सी द्वारा अधिकांश ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है, पर डोजर के माध्यम से ही आपूर्ति की जाये। ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत दोनों एजेन्सीयों को निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसी योजनाएं जहां अवर जलाशय के कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से आपूर्ति की जाये।

बिन्दु सं0-3-

निर्माणाधीन पेयजल योजना पर एफ0एच0टी0सी0 के कार्यों की प्रगति फेज-।। के अंतर्गत संतोषजनक है परन्तु फेज-।।। के अन्तर्गत मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0 द्वारा एफ0एच0टी0सी0 के कार्य पूर्ण न करने के कारण जनपद की रैंक " सी " श्रेणी में आ रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा रोष व्यक्त किया गया है एवं अवशेष एफ0एच0टी0सी0 के कार्यों को पूर्ण कर जनपद की श्रेणी " बी " में लाये जाने के

निर्देश दिये गये हैं, एफ0एच0टी0सी0 के कार्य पूर्ण न होने के कारण समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अपरिहार्य स्थिति का सामना करना पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत दोनों एजेन्सीयों को निर्देश दिये जाते हैं कि अवशेष एफ0एच0टी0सी0 के कार्यों को 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद " बी " श्रेणी में आ सकें।

बिन्दु सं0-4-

मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0 द्वारा वर्तमान तक एक नग टयूबवैल एवं 2 नग अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये गये जबकि एजेन्सी को कार्य आबंटित किये जाने की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त पर कार्य प्रारम्भ कर शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

बिन्दु सं0-5-

आपके द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं की कैमल फाईल अपलोड करने के निर्देश निरन्तर अधोहस्ताक्षरी एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये जा रहे हैं परन्तु आपके द्वारा कैमल फाईल तैयार कर अपलोड करने की गति अत्यन्त धीमी है जिस कारण उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त पर रोष व्यक्त किया जा रहा है। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि पेयजल योजनाओं की कैमल फाईल को तैयार कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर से जांच कराकर ही अपलोड करायें।

बिन्दु सं0-6-

निर्मित करायी गयी पेयजल योजनाओं के " हर घर जल प्रमाणित " करने के लिए आपको अधोहस्ताक्षरी एवं उच्चाधिकारियों द्वारा निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं परन्तु आपके द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं " हर घर जल प्रमाणित " करने की गति में सुधार नहीं किया जा रहा है। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि " हर घर जल प्रमाणित " करने की प्रक्रिया पर अपेक्षित सुधार करना सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं0-7-

आप दोनों एजेन्सी द्वारा जनपद के बोकसा जनजाति ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण के कार्य कराये जा रहे हैं। बोकसा जनजाति ग्राम मा0प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की प्राथमिकता के ग्रामों में आते हैं, इन ग्रामों में किये जा रहे विकास कार्यों की जनपद स्तर पर एवं शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण शासन/प्रशासन तथा उच्चाधिकारियों द्वारा गहरा रोष व्यक्त किया गया है।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि बोकसा जनजाति ग्रामों की पेयजल योजना के कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कराना एवं एवं 100 प्रतिशत आबादी को एफ0एच0टी0सी0 के माध्यम से नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं0-8-

आपके द्वारा ऐसे ग्राम जहां जलापूर्ति की जा रही है एवं जलापूर्ति के कारण लिकेज हो रहे हैं, उन लिकेज को ठीक कराने एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्य तुरन्त कराना सुनिश्चित करें जिससे ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो एवं जनवासियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़ें।

विन्दु सं ८

अधिकांश क्षेत्रों में यह है कि जलपट्ट स्तर पर मुख्यतः वर्षा शासन द्वारा की जा रही होती है। आपके द्वारा प्राप्त में अधिकांश नहीं दिया जा रहा है एवं यदि प्रतिभाग किया जाता है तो जलपट्टीकरणों द्वारा पूरे में संचालन को संभव नहीं दिया जाता है जिससे अधोहस्ताक्षरी की एवं जनपद की होने सुनिश्चित हो रही है। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि समीक्षा बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

विन्दु सं ९

जनपद की मातृगण क्षेत्रों में जलपट्ट की समस्या के निदान हेतु ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न माध्यमों द्वारा जनसुनवाई, पोर्टल, जिलाधिकारी माध्यम, मध्य मुख्यमंत्री की के माध्यम से एवं जल जीवन मिशन द्वारा आवेदन मिले की कम से कम कोई भी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हो रही है जिनमें अधिकांश शिकायतें एवं कोई भी आपके द्वारा किसी भी यह कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही है। आपको शिकायतों के गुणतापूर्वक निवारण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं परन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जो कि अस्मत्त स्वीकृत है।

आपके निर्देश दिये जाते हैं अपनी एजेंसी के किसी एक कार्मिक को शिकायतों के निवारण हेतु नियुक्त करना सुनिश्चित करें, जिसके द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित शिकायत पर शिकायतकर्ता से नयी कार समस्या के निवारण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

विन्दु सं ११

ऐसी समस्त घाटी में जहाँ आपके द्वारा पाइप लाइन बिछाई गयी है एवं पाइप लाइन बिछाये जाने के दौरान सड़कों को क्षतिग्रस्त की गयी है उनका रेस्टोरेशन 100 प्रतिशत करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

गोपनीयता की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में टबल सं 10 संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त समस्त विन्दुओं पर सम्पीरता से कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपनी आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - उपरीक्तानुसार।

भवदीय

(शकेश चौधरी)
अधिशारी अभियन्ता

यू०सं० एवं दिनांक उपरीक्तानुसार
प्रतिविधि

1. अधिशारी निर्देशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किरासा बाजार, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (मुरादाबाद), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर को सादर सूचनार्थ 1 प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर खण्डान्तर्गत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. डी०सी०, डी०पी०एम०यू० बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिये टैनिंग से सम्बन्धित कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
8. डी०पी०एम०, डी०पी०आई० को इस निर्देश के साथ कि समस्त पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य की क्वालिटी कंट्रोल से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

19 April 2025 17:25

अधिशारी अभियन्ता

बिन्दु सं० ९-

अधिकतर देखा जा रहा है कि जनपद स्तर एवं मुख्यालय तथा शासन द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक में आपके द्वारा समय से प्रतिभाग नहीं लिया जा रहा है एवं यदि प्रतिभाग किया जाता है तो उच्चाधिकारियों द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है जिससे अधोहस्ताक्षरी की एवं जनपद की प्रति धूमिल हो रही है। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि समीक्षा बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं० 10-

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के निदान हेतु ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न माध्यमों यथा, जनसुनवाई पोर्टल, जिलाधिकारी माध्यम, मा० मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एवं जल जीवन मिशन द्वारा आबंटित टोल फ्री नं० से एवं कोर्ट केस से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें अधिकांश शिकायतें एवं कोर्ट केस आपके द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही हैं। आपको शिकायतों के गुणतापूर्वक निस्तारण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं परन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

आपके निर्देश दिये जाते हैं अपनी एजेन्सी के किसी एक कर्मिक को शिकायतों के निस्तारण हेतु नियुक्त करना सुनिश्चित करें, जिसके द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित शिकायत पर शिकायतकर्ता से वार्ता कर समस्या के निस्तारण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

बिन्दु सं० 11-

ऐसे समस्त ग्रामों में जहां आपके द्वारा पाइप लाईन बिछायी गयी है एवं पाइप लाईन बिछाये जाने के दौरान सड़को को क्षतिग्रस्त की गयी है उनका रेस्टोरेशन 100 प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

योजनाओं की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में टेबल सं० 19 संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त समस्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपनी आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश चौधरी)

अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-

- 1- अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता(मुरा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर को सादर सूचना 1 प्रेषित।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर्स खण्डान्तर्गत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- डी०सी०, डी०पी०एम०यू० बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिये टैगिंग से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 8- डी०पी०एम०, टी०पी०आई० को इस निर्देश के साथ कि समस्त पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों के क्वालिटी कंट्रोल से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता

19 April 2025 17:25

19 APRIL

Table - 19

S.No	Name of Firm/ Agency	District	Villages Alloted	No. of Scheme	Scheme s Where Work Not Started	Land Not Availa ble	Scheme Comple ted	Trail Run Schemes	As Build Drawing Submitted	Final As Executed BOQ Submitted	Operational and Maintenance Details								Automation Integr	
											Initiated By Agency (scheme)	Finalized By Agency (scheme)	Approve d By TPI (scheme)	Approve d By EE (scheme)	Covered village	Regular water supply(Manual)	Monthly O&M Charges(in Rs)	Yearly O&M Charges(in Rs)	Automation covered Schemes	Automation covered Villages
1	VTL	Bijnor	1311	606	0	0	11	491	60	56	0	0	0	0	6	6	135876	1630512	0	0
		EE : Rakesh Chaudhary									17	4	4	4					0	
		PM : Bijendra Kaushik																		
2	LC	Bijnor	632	301	0	0	14	181	109	106	0	0	0	0	57	28	802661	9631932	0	0
		EE : Rakesh Chaudhary									59	36	32	32					0	
		PM : MR. GAURAV LAWANIYA																		

87:21 9202 udy 61

ation work status		ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)					T/W		Pump House		Machine Ava						
Regular water supply (According Automation)	Population	Dismental(Filled by EE)	Restored(Filled by EE)	Restored % (Filled by EE)	Villages where 100 % road restoration completed(Filled by EE)	Road Restoration(%)	Boring Approved/ Done/Balance	Completed	Required/Started/Completed/ Balance	Wall Writing Photos		Total approved	Work Started(Filled by Agency)	Work Started(Filled by EE)	CHT with less manpower	No Of CHT Where No Work Going On	Progress 0 to 25%
0	0	1666	1649	99%	0	91%	0	609	0	112	25	0	596	0	14 18	2.1	0
					1194		612 / 611 / 1		612 / 609 / 607 / 5			596		587			4
0	0	1775	1768	100%	0	86%	0	301	0	143	3	0	301	0	5 5	2.1	0
					545		301 / 301 / 0		301 / 300 / 292 / 9			301		296			0

19 April 2025 17:29

OHT							Chlorination system		Scada Automation		Distribution (Line Laying in Km.)		Solar Plant			HGJ Statu		
Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	OHT completed	Completion Plan/Achieved Till (22-Apr-2025)	Completion Plan Not Updated Scheme	OHT Logo	Installed	Operated	Installed	Operated	Total approved	completed	Total approved	Procured	completed	Villages Alloted	Household	HGJ (100% Completed)
0	0	0	+0	521 / 148	4	55	491	441	415	49	5467	0	601	589	0	1311	306935	708
46	177	167	64 202 / 44 4	view more								5101			582			
0	0	0	+0	171 / 81		162	239	234	120	68	2189	0	288	286	0	632	151960	556
4	44	58	161 195 / 4 05	view more								2221			286			

